रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 300] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 1988/ज्येष्ठ 19, 1910

No. 300] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 1988/JYAISTHA 19, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 9 जून, 1988

अधिसूचना

आय-कर

का.आ. 557(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये 1 जून, 1988 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 में,—

(1) भाग 6 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"भाग 6क

स्रोत पर कर का संग्रहण

37ग. धारा 206ग(1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण न किए जाने के लिए प्रमाणपत्र—

(1) निर्धारिती अधिकारी द्वारा इस आशय का दिया जाने वाला प्रमाणपत्र कि धारा 206ग की उपधारा (1) की सारणी में विनिर्दिष्ट किसी माल का, वस्तुओं या चीजों के विनिर्माण, प्रसंस्करण या उत्पादन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना है और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं, प्ररूप सं. 27ग में होगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन दिया गया प्रमाणपत्र ऐसी अवधि के लिए (जो प्रमाणपत्र की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी) विधिमान्य होगा जो निर्धारण अधिकारी उसमें विनिर्दिष्ट करे, जब तक कि वह विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व, किसी समय उसके द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है ।

(3) नए प्रमाणपत्र के लिए आवेदन, यदि अपेक्षा की जाए तो, पूर्वतर प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि की समाप्ति के पश्चात् किया जा सकेगा ।

(4) प्रमाणपत्र उसमें नामित व्यक्ति के लिए ही विधिमान्य होगा ।

37घ. धारा 206ग (5) के अधीन स्रोत पर कर के संग्रहण के लिए प्रमाणपत्र —

धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र, रूप सं. 27घ में होगा ।" :

(2) परिशिष्ट 2 में, प्ररूप सं. 27ख के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात :—

'प्ररूप सं. 27ग

(नियम 37घ देखिए)

आयकर अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रमाणपत्र

आय-कर कार्यालय

प्रमाणपत्र सं..... .....

सेवा में, तारीख ..... 19 .....

.....
(विक्रेता का नाम और पता)

मै. .....
(क्रेता का नाम और पता)

.....
(क्रेता का स्थायी खाता संख्यांक)

ने इस आशय का आवेदन किया है कि.....

(धारा 206ग की उपधारा (1) की सारणी में निर्दिष्ट माल की प्रकृति)

का वस्तुओं या चीजों के* विनिर्माण/प्रसंस्करण/उत्पादन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना है और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं ।

2. और मेरे सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार.....का वस्तुओं

(उक्त माल की प्रकृति)

या चीजों के* विनिर्माण/प्रसंस्करण/उत्पादन के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाना है और व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए नहीं ।

3. मैं आपको पैरा 2 में विनिर्दिष्ट माल के संबंध में धारा 206ग की उपधारा (1) के अधीन स्रोत पर कर का संग्रहण न करने लिए प्राधिकृत करता हूं ।

4. यह प्रमाणपत्र .....तक प्रवृत्त रहेगा जब तक कि वह , उक्त तारीख के पूर्व, आपको सूचना देता हुए, मेरे द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है ।

.....
निर्धारण अधिकारी

* जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

प्ररूप सं. 27घ

(नियम 37घ देखिए)

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 206ग की उपधारा (5) के अधीन स्रोत पर कर की कटौती का प्रमाणपत्र ।

सेवा में, प्रमाणपत्र सं. .....

.....
(क्रेता का नाम और पता)

महोदय,

मैं/हम .....प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि.....की राशि, धारा
(विक्रेता का नाम और पता)

206ग के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर संगृहीत की गई है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

*धारा 206ग (1) की सारणी में निर्दिष्ट माल की प्रकृति	क्रेता द्वारा संदेय रकम (रु)	दर जिस पर कर संगृहीत किया गया	कर के रूप में संगृहीत रकम (रु.)	वित्त अधिनियम, 1988 की धारा 2(6) के अनुसार संगृहीत अधिभार	संगृहीत कुल कर (स्तंभ 4 धन स्तम्भ 5)	कर के संग्रहण की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i) मानव के उपभोग के लिए एल्को-हाली लिकर (भारत में बनी विदेशी शराब से भिन्न)						
(ii) वन पट्टे के अधीन अभिप्राप्त काष्ठ						
(iii) वन पट्टे के अधीन से भिन्न किसी भी ढंग से अभिप्राप्त काष्ठ						
(iv) कोई अन्य वनोत्पाद जो काष्ठ नहीं है ।						

स्रोत पर संगृहीत कर की रकम का.....को केन्द्रीय सरकार के खाते में संदाय कर दिया गया है
(तारीख)

स्रोत पर कर का संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर (क्रेता)

स्थायी लेखा संख्यांक (यदि कोई हो) .....

*जो लागू न हो उसे काट दीजिए ।

टिप्पण : "1. प्रमाणपत्र, केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, निगम या प्राधिकरण द्वारा जो केन्द्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।

2. किसी कंपनी या फर्म की दशा में, प्रमाणपत्र, कंपनी के प्रधान अधिकारी या फर्म के भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित होगा ।" ।

[सं. 8001/फा. सं. 142/8/88-टीपीएल]

विजय माथुर, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

New Delhi, the 9th June, 1988

NOTIFICATION

INCOME-TAX

S.O. 557(E):—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Fourth Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall be deemed to come into force on the 1st day of June, 1988.

2. In the Income-tax Rules, 1962, —

(1) after Part VI, the following Part shall be inserted, namely:—

"PART VIA"

COLLECTION OF TAX AT SOURCE

37C. Certificate for no collection of tax at source under section 206C (1)

37C. (1) The certificate to be given by the Assessing Officer to the effect that any of the goods referred to in the Table in sub-section (1) of section 206C are to be utilised for the purposes of manufacturing, processing or producing articles or things and not for trading purposes shall be in Form No. 27C.

(2) The certificate given under sub-rule (1) shall be valid for such period (not exceeding one year from the date of certificate) as the Assessing Officer may specify therein, unless it is cancelled by him at any time before the expiry of the specified period.

(3) An application for a fresh certificate may be made, if required, after the expiry of the period of validity of the earlier certificate.

(4) The certificate shall be valid only for the person named therein.

Certificate for collection of tax at source under section 206C (5).

37D. (1) The certificate to be furnished by any person collecting tax at source under sub-section (5) of section 206C shall be in Form No. 27D.";

(2) In Appendix II, after Form No.27B, the following Forms shall be inserted, namely:—

"Form No. 27C

(See rule 37C)

Certificate under proviso to sub-section (1) of section 206C of the Income-tax Act, 1961.

Income-tax Office,

————————

Certificate No.————————

Date————————19—

To

————————————————

(Name and address of the seller)

Whereas M/s. ————————————————————————

(Name and address of the buyer)

————————————————————————

————————————————————————

(Permanent Account Number of the buyer)

has made an application to the effect that

(Nature of goods referred to in the Table in sub-section (1) of section 206C)

is to be utilised for the purpose of *manufacturing/processing/producing articles or things and not for trading purposes;

2. And whereas to the best of my belief the————————————————is to be utilised for the purpose of *manufacturing/processing/producing articles or things and not for trading purposes.

(Nature of the said goods)

3. I hereby authorise you not to collect tax at source under sub-section (1) of section 206C in respect of goods specified in paragraph 2.

4. This certificate shall remain in force upto————————unless it is cancelled by me under intimation to you, before that date.

Assessing Officer,

————————

*Strike out whichever is not applicable.

Form No. 27D

(See rule 37D)

Certificate of collection of tax at source under sub-section (5) of section 206C of the Income-tax Act.

Certificate No.——————

To

——————————

(Name and address of buyer)

Sir,

I/We——————————hereby certify that a sum of Rs.——————has been collected at source in accordance with the provisions of section 206C as per details given below:—

(Name and address of seller)

*Nature of goods referred to in Table in section 206C(1)	Amount payable by buyer (Rs.)	Rate at which tax collected	Amount collected as tax (Rs.)	Surcharge collected as per section 2(6) of the Finance Act, 1988	total tax collected (Col. 4 plus Col. 5)	Date of collection of tax
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(i) Alcoholic liquor for human comsumption (other than Indian-made foreign liquor)						
(ii) Timber obtained under a forest lease						
(iii) Timber obtained by any mode other than under a forest lease						
(iv) Any other forest produce not being timber						

The amount of tax collected at source has been paid to the cerdit of the Central Government on——————

Signature of person responsible for collecting tax at source

(Seller)

P A No (if any) ——————

*Strike out whichever is not applicable

Notes : — 1. The Certificate is to be signed by a person authorised by the Central Government, any State Government, local authority, corporation or authority established by or under a Central, State or Provincial Act.

2. In case of a company or firm the Certificate is to be signed by the Principal Officer of the Company or partner of a firm respectively".

[No. 8001/F.No. 142/8/88-TPL]

VIJAY MATHUR, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988